

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 27(41)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 11 JUL 2017

आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 22(1)(iii)(च) के तहत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबन्ध मण्डल में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित दो शिक्षाविदों को सदस्य के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से मनोनीत किया जाता है:-

- (1) डॉ. वी.एम. कटोच
सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल
सी.एम.आर. एवं सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली
- (2) डॉ. राजीव गुप्ता,
चीफ फिजिशियन, ई.एच.सी.सी. हॉस्पिटल, जयपुर


यह मनोनयन मुख्यमंत्री कार्यालय के आई.डी. क्रमांक F 17001244 दिनांक 05.7.2017 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राप्त सहमति के अनुसरण में किया जाता है।

आदेश से,

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राज. एवं कुलाधिपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को उनके पत्रांक F-8(BOM-Main)/Academic/2016/10640 दिनांक 10.11.2016 के सन्दर्भ में।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
7. डॉ. वी.एम. कटोच, सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल, सी.एम.आर. एवं सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली।
8. डॉ. राजीव गुप्ता, चीफ फिजिशियन, ई.एच.सी.सी. हॉस्पिटल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव